

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-05/2017 | 7

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची/देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 25.04.17

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-74-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49S470180796740545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।


महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-


क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 74-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,	05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49S470180796740545	2050.00

आवंटित राशि - ₹ बीस करोड़ पचास लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2017-18 के बजट उपबंध राशि रू. 2100.00 लाख (एक्कीस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681 दि. 10.06.2015 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।



(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता




(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 दिसम्बर 2017 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।



24/4
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 17

राँची, दिनांक :- 25.04-17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.- हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/झोरण्डा/देवघर/मधुपुर/जामताड़ा/पाकुड़/राजमहल/साहेबगंज/सिमडेगा/गुमला/चक्रधरपुर/चाईबासा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



24/4
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव


ज्ञापांक :- 17


राँची, दिनांक :- 25.04-17

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिंघा)
उप सचिव (अभि.)


24/4
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक.....17.....

दिनांक 25.04.17

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष -796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना

उप शीर्ष-74-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,

शीर्ष-05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य 49S470180796740545

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट उपबंध ₹ 2100.00 लाख (₹ एककीस करोड़) मात्र।

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्र० स्वी० का		मार्च 2017 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया (DGRCRAG03)	देवघर	अजय बराज योजना	35184.5196	37/06-07 प्र०स्वी० दिनांक-22.03.07	40310.56	0.00	200.00	200.00	17370	
2	सिंचाई प्र०-2, सिकटिया (DGRCMMF72)						0.00	110.00	110.00	17382	
3	सिंचाई प्र०, जामताड़ा (JMTMIR001)						0.00	21.00	21.00	17392	
4	सिंचाई प्र०-2, जामताड़ा (JMTMIR002)						0.00	50.00	50.00	17404	
5	सिंचाई प्र०, नाला (JMTMIR004)						0.00	5.00	5.00	17410	
6	सिंचाई प्र०, कुंडहित (JMTMIR003)						0.00	550.00	550.00	17437	
7	लघु वितरणी प्र०, कुलडंगाल (JMTMIR005)						0.00	25.00	25.00	19834	
8	सिंचाई प्रमंडल सं०-1, बरहेट (SBJIRR014)	देवघर	गुमानी बराज योजना	16258.67	36/06-07 22.03.2007	17962.24	0.00	220.00	220.00	19851	
9	सिंचाई प्रमंडल, बरहरवा (RJMIRR001)						0.00	200.00	200.00	19855	
10	सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ (PKRIRR001)						0.00	240.00	240.00	19861	
11	जलपथ प्रमंडल सं०-1, चक्रधरपुर (SGHIRR016)	राँची	सोनुआ जलाशय योजना	8265.00	41/06-07 प्र०स्वी० दिनांक-23.03.2007	8143.08	0.00	300.00	300.00	19866	
12	जलपथ प्रमंडल, सं०-1, सिमडेगा (SDGIRR001)		रामरेखा जलाशय योजना	5386.87	51/प्र०स्वी० दिनांक-12.03.2003	5048.48	0.00	50.00	50.00	19873	
13	जलपथ प्रमंडल, राँची (DRNMID043)		सुकरी जलाशय योजना	935.00	32/07-08 प्र०स्वी० दिनांक-11.09.2007	953.90	0.00	25.00	25.00	19880	
14	जलाथ प्रमंडल, सं०-1, चैनपुर, गुमला (GMLIRR004)		अपरशंख जलाशय योजना	14119.00	46/06-07 प्र०स्वी० दिनांक-30.03.2007	15587.20	0.00	29.00	29.00	19883	
15	जलाथ प्रमंडल, सं०-2, चैनपुर, गुमला (GMLIRR008)			0.00	25.00	25.00	19890				
कुल योग							0.00	2050.00	2050.00		

आवंटित राशि - ₹ बीस करोड़ पचास लाख मात्र।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव